रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1976/अग्रहायण 1, 1898

No. 381] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1976/AGRAHAYANA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 22nd November 1976

G.S.R. 893(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of Section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 414-Cus. [G.S.R. No. 830(E)], dated the 1st October 1976, as amended by notification No. 432-Cus. [G.S.R. No. 860(E)], dated the 1st November, 1976 namely.

In the Schedule annexed to the said notification, for the figures "26.40", "55.20" and "44.10" under column (3) shown against S. Nos. 7, 13 and 15, the figures "28.40", "59.40" and "47.40" respectively shall be substituted.

[No. 438-Cus./F. No. 503/8/76-Cus.VI]

A. BORDIA, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 893 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की तारीख 1 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० 432–सीमाशुल्क [सा० का० नि० सं० 860(अ)] द्वारा यथासंशोधित तारीख 1 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना सं० 414–सीमाशुल्क [सा० का० नि० सं० 830(अ)] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना संलग्न अनुसूची में, क्रम सं० 7, 13 और 15 दर्शित "26.40", "55.20" और "44.10" अंकों के स्थान पर "28.40", "59.40" और "47.40" अंक क्रमानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 438–सीमाशुल्क/फा० सं० 503/8/76–सी० शु०-6]

आनन्द बोर्डिया, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976